

न्यायालय:द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)
दाण्डिक अपील क्र.-226/16
प्रस्तुति/संस्थित दिनांक-07.11.16

प्रमोद उर्फ पहाड़ी पुत्र अतर सिंह
यादव आयु 31 वर्ष जाति यादव
निवासी लुहारपुरा मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ
जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.09.17 को घोषित)

- यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 96/16, अपराध क्रमांक 32/16 अंतर्गत धारा-25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम उनवान पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ बनाम प्रमोद उर्फ पहाड़ी में घोषित निर्णय व दण्डादेश दि0-09.09.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके तहत अपीलार्थी/अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी को धारा- 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के कठिन कारावास तथा 500/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया है।
- अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.02.16 को पुलिस थाना मौ के उपनिरीक्षक अभिलाख सिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी निवासी लोहारपुरा मण्डी गेट के पास धारदार छुरा लिए लोगों को भयभीत कर रहा है और कोई वारदात करना चाह रहा है। बताए गए स्थान पर पुलिस बल पहुंचा तो अभियुक्त प्रमोद हाथ में अवैध छुरी धारदार लिए मिला, जिसे हमराह पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया। लाइसेंस के बारे में पूछने पर लाइसेंस न होना बताया। मौके पर ही उक्त धारदार छुरा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-01 बनाया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया। थाना वापसी पर प्र0पी0-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 32/2016 अंतर्गत धारा-25(बी) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रवानगी एवं वापसी के रोजनामचे प्र0पी0-05 एवं प्र0पी0-06 लेखबद्ध किए गए। साक्षी सुरेन्द्र सिंह एवं राधामोहन के कथन प्र0पी0-03 एवं प्र0डी0-01 लिया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(बी)(1-बी) आयुध अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया। जिसके कारण मामले का विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(बी) के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रश्नगत दण्डादेश से दण्डित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे इस अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

“क्या प्रश्नगत दोषसिद्धि या दण्डाज्ञा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य है ?”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियुक्त की ओर से अपील मेमो एवं अंतिम तर्क के दौरान यह आधार लिए गए हैं कि अभियोजन साक्षी पुलिस के कर्मचारी होकर उनके कथनों में आपस में भारी विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से एक भी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है और हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य कराई गई है। इन तथ्यों पर विचार न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मन माने तौर से आलोच्य आदेश पारित किया है। जो कि काबिले निरस्ती है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा किए गए दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 09.09.16 को अपास्त करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक ने प्रश्नगत निर्णय का समर्थन करते हुए अपील खारिज करने पर बल दिया है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत् रखने का निवेदन किया है।

7. इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य पर विचार किया गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-08, 10 एवं 11 में जप्तीपंचनामा प्र0पी0-01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 से साक्षी अभिलाख सिंह अ0सा0-04 की साक्ष्य की पुष्टि होना तथा उसकी साक्ष्य अखण्डित होना मान्य की गई है। राधामोहन अ0सा0-03 के संबंध में भी प्र0पी0-01 एवं प्र0पी0-02 से साक्ष्य की पुष्टि होना और उसकी साक्ष्य अखण्डित रहना तथा उसकी साक्ष्य से अभिलाख सिंह अ0सा0-04 की साक्ष्य की सारतः पुष्टि होना मान्य किया गया है। भैयालाल अ0सा0-02 की साक्ष्य को भी अखण्डित होना मान्य करते हुए, अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अपराध प्रमाणित माना है।
8. अभिलाख सिंह अ0सा0-04 एवं राधामोहन अ0सा0-03 ने दिनांक 07.02.16 को जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर मौके पर अभियुक्त को पकड़ना और उसके पास से लोहे का बका जप्त होना बताया है और यह भी बताया है कि अभिलाख सिंह अ0सा0-04 ने बका जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-01 बनाया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया था। अभिलाख सिंह अ0सा0-04 ने यह बताया है कि थाना वापसी पर प्र0पी0-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी। न्यायालय में जप्तशुदा बके को वही बका होना बताया है, जो कि जप्त किया था।
9. प्र0पी0-04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य है कि उपनिरीक्षक अभिलाखसिंह को दौराने कस्बा भ्रमण जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि प्रमोद उर्फ पहाड़ी मण्डी गेट के पास धारदार छुरा लिए लोगों को भयभीत कर रहा है, कोई वारदात करना चाह रहा है। अभिलाख सिंह अ0सा0-04 एवं राधामोहन अ0सा0-03 ने भी यही बताया है। अभिलाख सिंह अ0सा0-04 ने यह भी बताया है कि जब सूचना की तस्दीक हेतु मण्डी गेट पर पहुंचे तो अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी हाथ में लोहे का बका लिए हुए प्रदर्शन करता मिला। राधामोहन अ0सा0-03 ने यह बताया है कि प्रमोद अवैध धारदार छुरी लिए मिला।
10. प्रथम यह कि राधामोहन अ0सा0-03 धारदार छुरी बताता है और उसने छुरी की कोई माप नहीं बताई है। वहीं अभिलाख सिंह अ0सा0-04 लोहे का बका लिए हुए होना बताता है। इस प्रकार बका और छुरी में काफी अंतर है। बका बड़े आकार का होता है और छुरी छोटे आकार की होती है। इस प्रकार दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि महत्वपूर्ण बिन्दु पर आपस में नहीं हो रही है। अतः विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है कि दोनों साक्षियों की साक्ष्य की आपस में पुष्टि हो रही है।
11. राधामोहन अ0सा0-03 ने छुरी को धारदार होना बताया है,

जबकि जप्तीपंचनामे प्र0पी0-01 में धारदार होने का कोई उल्लेख ही नहीं है। इस प्रकार राधामोहन अ0सा0-03 की साक्ष्य की पुष्टि प्र0पी0-01 से कतई नहीं हो रही है। अभियोजन की यह घटना है और यह साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त बका लिए हुए लोगों को भयभीत कर रहा था और कोई वारदात करना चाहता था। अभिलाख सिंह अ0सा0-04 के अनुसार अभियुक्त लोहे का बका लिए हुए प्रदर्शन करता मिला था। यह पूर्णतः अप्राकृतिक और अस्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति हथियार को लेकर आम जनता में लगातार प्रदर्शन करता रहेगा और पुलिस का इंतजार करता रहेगा कि पुलिस आए और उसे पकड़े और उससे जप्ती बनाए तथा उसे गिरफ्तार करे। यदि किसी व्यक्ति को कोई वारदात करनी होती है तो वह उसका प्रदर्शन नहीं करता है अपितु अपराध को छिपाता है। वारदात करने वाला व्यक्ति बिना प्रदर्शन के वारदात करता है। यह अलग तथ्य है कि वारदात करते हुए उसे कोई देख ले।

12. राधामोहन अ0सा0-03 ने रात्रि के 10:30 बजे मुखबिर से एस.आई. अभिलाख सिंह तोमर को सूचना मिलना बताया है और 11:00 बजे सूचना की तस्दीक के लिए जाना बताया है। जिससे कि स्पष्ट होता है कि कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना नहीं मिलना बता रहा है। अपितु थाने पर ही सूचना मिलने का आशय है। वहीं अभिलाख सिंह अ0सा0-04 कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलना बताता है। रोजनामचा सान्हा प्र0पी0-05 के अनुसार 10 बजकर 49 मिनट पर पुलिस फोर्स थाने से निकल गया था। वही राधामोहन अ0सा0-03, 10:30 बजे सूचना मिलना बता रहा है। ऐसी स्थिति में उसके और रोजनामचे के अनुसार थाने पर ही सूचना मिलना प्रकट होता है। जबकि अभिलाख सिंह अ0सा0-04 कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलना बताता है।

13. अभिलाख सिंह अ0सा0-04 ने पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि वह उन 8-10 लोगों के नाम नहीं बता सकता कि जिन्होंने यह बताया था कि अभियुक्त उन्हें भयभीत कर रहा था। इस प्रकार साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा है कि अभियुक्त किस-किस व्यक्ति को भयभीत कर रहा था, न तो उनके कथन लिए गए हैं और न ही उनके नाम बताए गए हैं। अभिलाख सिंह अ0सा0-04 की यह साक्ष्य भी हास्यास्पद है कि 8-10 लोगों को भयभीत करने वाली बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-04 में लेखबद्ध कराई थी और यदि न लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकता अर्थात् स्वयं ने ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना बताया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों में और उसकी साक्ष्य में भारी विरोधाभास हो रहा है, जिसके कारण वह नहीं बता पा रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा बताई गई उक्त कार्यवाही मात्र कागजी कार्यवाही होना प्रकट होती है।

14. प्र0पी0-01 के जप्ती पंचनामे तथा प्र0पी0-02 के गिरफ्तारी पंचनामे का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें अपराध क्रमांक 32/16 पहले से ही लिखा हुआ है। जिससे कि प्रकट है कि थाने

पर ही बैठकर सारी कार्यवाही की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के बाद प्र०पी०-01 व प्र०पी०-02 बनाए गए हैं। इसी कारण उन पर असल अपराध क्रमांक लिखा हुआ है तथा वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने पहले मौके पर ही कार्यवाही कर लिखापट्टी की गई होती तो प्र०पी०-01 व प्र०पी०-02 पर असल अपराध क्रमांक नहीं लिखा होता, क्योंकि असल अपराध क्रमांक तभी पता चलता है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ०सा०-01 ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। तब ऐसी स्थिति में भैयालाल अ०सा०-02 की साक्ष्य का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है।

15. इस प्रकार न तो साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में हो रही है और न ही उनकी साक्ष्य तात्विक रूप से अखण्डित है। प्र०पी०-01 की जप्ती एवं प्र०पी०-02 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो रही है। अतः इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है।

16. उपरोक्त इन सभी तथ्यों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है और साक्ष्य की विवेचना किए जाने में वैधानिक भूल कारित की है। साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित होना, साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि आपस में होना तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि प्र०पी०-01 एवं 02 से होना मान्य किए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है।

17. इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी को बिना वैध लाइसेंस के निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखने के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराकर वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होने के कारण हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

18. अतः अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई उक्त दोषसिद्धि एवं किया गया दण्डादेश अपास्त किया जाता है। फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(बी) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा बके के संबंध में विचारण/अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। रिवीजन होने पर माननीय रिवीजनल न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

21. निर्णय की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)